न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 07/2013

1. साहिल भांभू पुत्र श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी चक 21 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. अन्तराम पुत्र श्री हरिसिंह जाति जाट निवासी चक 21 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. विनोद कुमार पुत्र श्री अन्तराम जाति जाट निवासी चक 21 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सौरभ भांभू पुत्र श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी चक 21 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. शीला पत्नी श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी चक 21 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट आफ राजस्थान– जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92, 188 व 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री बलजीत सिंह बराड़ अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री बलकरणसिंह बराड़ अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1

–:: निर्णय ::– **दिनांक :–** 4.11.16

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92, 188 व 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के परदादा हरिसिंह के नाम से आराजी वाके चक 21 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 22 की 25.00 बीघा अर्थात 6.325 हैक्टर कृषि भूमि थी जिनकी मृत्यु के पश्चात उपरोक्त भूमि विरास्तन वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई इस प्रकार उक्त भूमि जद्दी जायदाद है। व इस भूमि की आय से वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 नें इसी चक के मुरब्बा नम्बर 2 की 2.961 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 15 की 0.822 रकबा खरीद किया।

इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से चक 20 एम.एल. बी के खाता संख्या 97/33 के मुरब्बा नम्बर 64 की 25.00 बीघा आराजी में से 1/2 हिस्सा व चक 21 एम. एल. के खाता संख्या 62/51–54 मुरब्बा नम्बर 2 के 0.379 व मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 23 के 0.630 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 24 के 0.620 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1 ता 5 सालम व इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से चक 20 एम.एल. बी के खाता संख्या 97/33 की 25.00 बीघा में से 1/2 हिस्सा खरिद की, इस प्रकार वादी के दादा व पिता द्वारा संयुक्त रूप से जद्दी जायदाद की आय से कुल 13.143 हैक्टर खरीद की जो कि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 3.783 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से 6.198 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से 3.162 हैक्टर दर्ज राजस्व रिकार्ड माल है व इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से जद्दी जायदाद की भूमि मुरब्बा नम्बर 22 की 6.325 हैक्टर दर्ज कागजात माल है। इस प्रकार से कुल कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 वा 4 के नाम से कुल 19.468 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राज कागजात माल है। जो कि जद्दी जायदाद है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी

वादी के दादा व पिता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि वादी की बजाय छोटे पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 से अधिक स्नेह करते हैत्र व अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि आराजी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से लगवाना चाहते है।, जब कि उपरोक्त जद्दी जायदाद होनें के कारण व जद्दी जायदाद की आय से संयुक्त परिवार द्वारा भूमि खरिद करने के कारण सम्पूर्ण जद्दी जायदाद है, जिसमें वादी का भी 1/4 हिस्सा बनता है।

प्रतिवादीगण नें वादी को चक 21 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 25.00 बीघा आराजी काश्त हेतु दे रखी है। जिस पर वादी की फसल काश्त की हुई है। परन्तु प्रतिवादीगण वादी से स्नेह ना करनें के कारण वादी को उक्त आराजी से बेदखल करना चाहते है। जबकि वादी का सम्पूर्ण जद्दी जायदाद में 1/4 हिस्सा जन्म से ही बनता है। प्रतिवादीगण, वादी को उसके हिस्सा से महरूम करना चाहते है। इस कारण से वह यह भी एलानिया कहते है, चुँकि आराजी राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम से है। इस कारण वे इस आराजी को विक्रय कर सीधे ही प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से आराजी खरीद कर वादी को उसके हिस्सा से महरूम कर देगें या आराजी सीधे ही विक्रय पत्र के जरिये प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से विक्रित कर देगें, जबकि उन्हे ऐसा करनें का कोई अधिकार नहीं है।

प्रतिवादीगण नें उपरोक्त वर्णित आराजी में 1/4 हिस्सा वादी का होनें के कारण राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करवानें के लिये कहा तो प्रतिवादीगण नें स्पष्ट रूप से इन्कार करते हुए कथन किया कि वह मात्र मुरब्बा नम्बर 22 की 25 बीघा आराजी जो कि हरिसिंह के नाम से थी में से ही 1/4 वादी के नाम से करवायेगें। जबकि सम्पूर्ण आराजी में ही जद्दी जायदाद की आय से खरीद की होनें के कारण सम्पूर्ण आराजी में ही वादी का 1/4 बनता है, इस कारण वादी को पूर्ण विश्वास हो गया है, कि प्रतिवादीगण बिना न्यायालय की सहायता से मानने वाले नहीं है। इस कारण उक्त वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

चुँकि उक्त कृषि भूमि जद्दी जायदाद की परिभाषा में आती है इस कारण वादी का उक्त भूमि में से 1/4 हिस्सा बनता है। जिसकी निम्नानुसार घोषणा व विभाजन किया वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे।

(क) डिक्री घोषणा इस अमर सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2, 2 व 4 के नाम से दर्ज है, उक्त भूमि जद्दी जायदाद होनें के कारण वादी का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख) डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की पारित की जावे कि प्रतिवादी गण संख्या 1, 2 व 4 वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि को रहन बैय व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से करवानें से बाज व ममनु रहे।

(ग) विभाजन की डिक्री इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का विभाजन वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के मध्य अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का विभाजन करवाकर राजस्च अभिलेख में अलग अलग खाता कायम किया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। दिनांक 06.04.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की और से जरिये अधिवक्ता जबाब दावा पेश किया गया। जिसके अन्तर्गत वाद को अस्वीकार करते हुए वाद वादी मय खर्चा खारिज फरमाये जानें हेतु निवेदन किया।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 28.06. 2016 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री सुरेश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि चक 21 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 22 की 25.00 बीघा अर्थात 6.325 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 4/2 की .203, 7/.253, 8/.190, 12/.127, 13/.253, 14/.253, 17/.253, 18/.253, 19/.253, 20/.063, मुरब्बा नम्बर 15 की 0.822 इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से चक 20 एम.एल. (बी) के खाता संख्या 97/33 के मुरब्बा नम्बर 64 की 25.00 बीघा आराजी में से 1/2 हिस्सा व चक 21 एम. एल. के खाता संख्या 62/51–54 मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 24/1 में .126, 25/.253, व मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 21/2 में .130, 22/2 में .130, 23/2 में .130, 24/2 में .120, 25/2 की .020, मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21/.120, 22/.120, 23/.120, 24/.130, 25/.130, मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से चक 20 एम.एल. (बी) के खाता संख्या 97/33 की 25.00 बीघा में से 1/2 हिस्सा इस प्रकार कुल 18.143 हैक्टर खरीद शुद्धा है। जो कि मुश्तर्का खानदान की भूमि है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा बनता है। पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है। और बरूवे राजीनामा प्रतिवादीगण नें वादी को 1/4 हिस्सा देना तय किया है।

इस कारण राजीनामा के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 के खाता में से चक 21 एम.एल. का मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21/.228, 22/.253, 23/.253, 24/.126, मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1/2 की .240, 2/1 की .240, 3/2 की .241, 4/1 की .101 कुल 1. 682 हैक्टर रकबा व विनोद कुमार प्रतिवादी संख्या 2 के खाता में से चक 21 एम. एल. के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1 ता 5 सालम मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 24/1 की . 126, 25/.253 कुल 1.644 रकबा वादी को देना तय हुआ है। उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से काटकर वादी को उक्त रकबा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकित कर राजीनामा के आधार पर डिक्री कर दिया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई दिनांक 24.10.2016 को वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्धान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार चक 21 एम.एल. व चक 20 एम.एल. (बी) में प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 के नाम से कुल 18.143 हैक्टर खरीद शुद्धा भूमि जिसको वादी एवम् प्रतिवादीण नें राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार किया है। उसके उनुसार वादी राजीनाम के अनुसार 1/4 भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानें का अधिकारी न्यायोचित पाया गया है।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद दिनांक 24.06.2016 को वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि वादी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वाद पत्र में वर्णित उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत बरूवे राजीनामा प्रतिवादीगण नें वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के खाता में से चक 21 एम.एल. के मुरब्बा नबर 2 की कुल 0.860 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 15 की 0.822 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 2 के खाता में से चक 21 एम. एल के मुरब्बा नम्बर 6 की कुल 1.265 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 2 की 0.379 हैक्टर भुमि वादी को देना तय हुआ है जिसका विभाजन निम्नानुसार किया जाता है शेष खाता बदस्तुर रहेगा :–

1. वादी साहिल भांभू पुत्र श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी चक 21 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का 3.326 हैक्टर रकबा :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
21 एम. एल.	2/2	2	21/.228, 22/.253, 23/.253, 24/.126,	0.860
		15	1/2 की .240, 2/1 की .240, 3/2 की .241, 4/1 की .101	0.822
	62/51–54	6	1/.253, 2/.253, 3/.253, 4/.253, 5/.253,	1.265
		2	24/1 की .126, 25/.253	0.379
कुल भूमि 3.326 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन				

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम अलग से कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 4.11.16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर